तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० तहसीलदार तालेड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त। जो शा० मि० की गई। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 19/10/23 को पेश हो। [signature]
19/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया गया। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मि० किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री हरबिन्दर डी सिंह R.A.S

मिसल नं0 10/प्रा0पत्र/2021	तारीख दायर 04.02.2021	तारीख फैसल 19.10.2023

मुख्तार अली आयु .. आत्मज श्री अलानूर खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम जगीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी

.......प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ताप्रार्थी:– श्री मुख्तार अली भुटटो
अधिवक्ता अप्रार्थी:– पेरोकार सरकार

— : : निर्णय : : —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 भू–राजस्व अधिनियम

प्रा0पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता सं0 99 पुराना 88 की कृषि भूमि ख0सं0 462/105 रकबा 1.7806 हैक्टे0 वाके ग्राम तीतरवासा पटवार हल्का नोताडा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का हिस्सा 1/3 निहित है तथा शेष 1/3,1/3 हिस्से के सहखातेदार प्रार्थी के भाई इस्लाम मोहम्मद व सत्तार अहमद है। उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम मुख्तार अहमद अंकित हो रहा है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में सहवन एवं गलती से प्रार्थी का नाम घर का बोलता हुआ नाम मुख्तार अहमद अंकित करवा दिया गया था जबकि प्रार्थी एक शिक्षित पढा लिखा व्यक्ति है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजी पर अपने हिस्से में शान्तिपूर्वक काबिज कास्त है। प्रार्थी की पहचान के बाबत दस्तावेजात् फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, शेक्षणिक दस्तावेज वकालत सर्टिफिकेट व मार्कशीट आदि में प्रार्थी का नाम मुख्तार अली अंकित हो रहा है। जो सही एवं सत्य है। प्रार्थी का घर का नाम मुख्तार अहमद, मुख्तार मोहम्मद के नाम से एवं बाहर मुख्तार अली दोनो नामो से जाना पहचाना व पुकारा जाता है तथा प्रार्थी अपने हस्ताक्षर मुख्तार अली के नाम से ही करता है। राजस्व रेकार्ड में घर वालो के द्वारा सहवन व गलती से रजिस्ट्री के समय प्रार्थी का नाम घर में बोले जाने वाला नाम मुख्तार अहमद ही अंकित करवा दिया था जो कि आज तक राजस्व रेकार्ड में अंकित चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त किया जाना प्रार्थी के हित में एवं न्याय के हित में अति आवश्यक एवं जरूरी है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा कई बार पटवारी हल्का एवं तहसीलदार तालेडा को निवेदन किया गया किन्तु उनके द्वारा प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया है यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में अंकित प्रार्थी का नाम मुख्तार अहमद को विलोपित कर उसके स्थान पर प्रार्थी की

3

4

5

...क्षणिक दस्तावेजात् व अन्य पहचान के दस्तावेजात् के आधार पर मुख्तार अली दर्ज ...निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व ...र्ड ख0सं 462/105 रकबा 1.7806 हैक्टे वाके ग्राम तीतरवासा में खातेदार मुख्तार अहमद पुत्र अल्लानूर जाति मुसलमान जमीतपुरा अंकित है। मौका अनुसार ग्राम जमीतपुरा में जांच की गई एवं प्रार्थी के दस्तावेज की जांच की गई। मुताबिक दस्तावेज प्रार्थी का नाम मुख्तार अली दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान् इस नाम और वल्दियत का अन्य कोई व्यक्ति इस ग्राम में निवास नही करता है। ये दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। तहसीलदार तालेडा ने नाम संशोधन की अनुशंषा की। पेरोकार सरकार ने रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार मुख्तार अहमद को मुख्तार अली करने की अनुशंषा की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं अवगत कराया कि राजस्व रेकार्ड में घर वालो के द्वारा सहवन व गलती से रजिस्ट्री के समय प्रार्थी का नाम घर में बोले जाने वाला नाम मुख्तार अहमद ही अंकित करवा दिया था जो कि आज तक राजस्व रेकार्ड में अंकित चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त किया जाना प्रार्थी के हित में एवं न्याय के हित में अति आवश्यक एवं जरूरी है।

पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार नाम संशोधन किये जाने की अनुशंषा की गई।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी संवत 2076 वाके ग्राम तीतरवासा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी में मुख्तार अहमद पुत्र अल्लानूर ही अंकित है। किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड सं. 2024 3913 3635 का अवलोकन करने एवं रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि मुख्तार अहमद एवं मुख्तार अली एक ही व्यक्ति है एवं दौराने रेकार्ड में अमल दरामद प्रार्थी के परिवारजन द्वारा प्रार्थी का नाम बोलते नाम पर मुख्तार अहमद अंकित करवा दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम मुख्तार अली था। मौका रिपोर्ट अनुसार भी मुख्तार अहमद एंव मुख्तार अली नाम का ग्राम जमीतपुरा में एक ही व्यक्ति होना अंकित किया गया है जिसकी वल्दियत एक है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तीतरवासा तहसील तालेडा की कृषि भूमि ख0सं0 462/105 रकबा 1.7806 हैक्टेयर मे प्रार्थी के नाम मुख्तार अहमद पुत्र अल्लानूर के स्थान पर मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार अली पुत्र अल्लानूर संशोधित किया जावे शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

3

4

5